तारीख हुक्म

01/03/21

पक्षकारान अनुपस्थित।
आज वकील मण्डल द्वारा न्यायालय में अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया गया है,
अतः पेशी इलतवा होकर पत्रावली दिनांक 08/03/21 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी एवं उप
खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत

8/3/21

पक्षकारान उपस्थित।
आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/
अवकाश पर है। अतः पेशी इलतवा होकर पत्रावली दिनांक 25/3/21 को पेश हो।

रीडर
उप खण्ड अधिकारी एवं उप
खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत

25/3/21

पक्षकारान उप.।
आदि. प्रार्थी ने प्रति सं 2, 5 व 4 की ओर से ज0
वा पेश किया जा चुका है। अप्रार्थी सं 1 व 3 को
बावजूद तामिली मुनादी व आवाज दिलाने जाने पर
भी हाजिर रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्य
वाही की जाती है। TPR sojat ने प्र. पेश नहीं
करने से जवाब बन्द किया जाता है। पत्रावली
वास्ते बहस आयन्दा दि. 30/3/21 को पेश हो
आदि अप्रार्थी ने जबाबदावा पेश किया जा चुका है।

AC sojat

30/3/21

पक्षकारान उप.।
पत्रावली वास्ते बहस आयन्दा दि. 14/07/21 को
पेश हो।

AC sojat

14/07/21

पक्षकारान उप.
प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 039 R
2 Rule 151 CPC का पेश कर निवेदन किया
कि खसरा मौजा ग्राम मा. ... तहसील सोजत
में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख. नं०
255 रकबा 4.30 हैक्टेयर स्थित है जिसका
आगे कुछ स्थित है। जिस कृषि भूमि के
पड़ोस में अप्रार्थी ... । ... की खातेदारी
कृषि भूमि ख.न. 257 तथा अप्रार्थी ...
2 ... की खातेदारी कृषि भूमि ख.न.
259 आदि कुछ स्थित है. जिस ... कृषि
के ... ख.न. 286 ...
कुआ स्थित है प्रार्थी ... के साथ ...
नक्शे में ...

द किया गया है

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आबादि सेटल मेन्ट के पश्चात भी ये तथा खा
मार्ग से दर्शित सेटलमेन्ट के पूर्व की स्थिति
को दर्शित किया गया है जिसमे ख.नं. 256
गै.मु. रास्ता सेटलमेन्ट से पूर्व ख.संख्या 257
व खसरा संख्या 258 व ख.सं. 259 मे होते
हुये मुख्य रास्ते से जाकर जुड़ता है लेकिन
सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा अपने अधिकार से
परे जाकर गलत पैमाना तय कर प्रार्थी की
खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 255 में से होते हुये
ख.नं. 256 गै-मु. रास्ता दर्शित कर सेटलमेन्ट
के पूर्व की स्थिति को परिवर्तित कर दिया।
मौके पर आज भी ख.नं. 257 से 259 में होते
हुये रास्ता मौजूद है एवं मौके पर प्रार्थी की
खातेदारी कृषि भूमि ख.सं. 255 की आराजि
को परिवर्तित कर राजस्व नक्शे में रकबा कम
कर दिया। अप्रार्थीगण को उक्त राजस्व नक्शे
में हुई त्रुटि की जानकारी होने पर अप्रार्थीगण प्रार्थी
की खातेदारी कृषि भूमि में विधि विरुद्ध तरीके से
कब्जा करने पर उतारू है तथा विधि विरुद्ध
तरीके से प्रार्थी की भूमि में से रास्ता निकालने
पर आमादा है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी का
बनता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के
पक्ष में जनक है अगर अप्रार्थीगण को जरिये
अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं रोका गया तो प्रार्थी को
अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रार्थना पत्र
पेश कर प्रार्थी की कृषि भूमि की आराजी
में दखल अंदाजी नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को
जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की इस्तदुआ
की है।

जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि
ख.नं. 259 अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी काश्त
शुदा कृषि भूमि है तथा ख.नं. 256 सिवायचक गै.मु.
रास्ता है, जो मौके पर कायम है प्रार्थी ने प्रा.
पत्र के साथ पेश नक्शा बिलकुल ही गलत एवं
झूठा पेश किया। नजरी नक्शा मनमर्जी से
ओवरराईटिंग कर काल्पनिक बनाकर पेश किया है
ख.नं. 256 रास्ता मौके अनुसार सही है सेटलमेन्ट
40 अधिकारियो ने कोई त्रुटि नहीं की है प्रार्थी
जानबूझकर 256 ख.नं. पर अतिक्रमण कर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	बन्द करना चाहता है। प्रार्थी संख्या 4 अवकाश में दिनांक 16/8/18 को तहसीलदार की तरफ से शहना मुकदमे का दाखिल पत्र पेश किया जिसकी स्थिति रिपोर्ट में रास्ते पर प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण किया जाना पटवारी रिपोर्ट में बताया गया है। प्रार्थी किसी प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है प्रार्थी के हक में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता इस प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने की इस्तदुआ की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के दौरान जाहिर किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.न. 255 में परिवर्तित कर ख.न.256 को ख.न. 255 में ले रहे हैं और ये अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है। जिसे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की इस्तदुआ की। जवाब बहस में अधि. अप्रार्थी ने निवेदन किया प्रार्थी स्वयं अतिक्रमी है। जोतने रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र तथा उपरोक्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस बमुताबिक पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः उभय पक्षो को ख.न. 256 किस्म गै.मु. रास्ते ~~की भूमि~~ पर अतिक्रमण कर उपयोग में लेने का कोई हक अधिकार नहीं है मूल वाद 88, 89, 188 R.T. Act व 136 L.R. Act से सम्बन्धित है, जिसमें उक्त वाद, जवाब दावा साक्ष्य निर्णय व दस्तावेजात के आधार पर विस्तृत विवेचन / विश्लेषण पश्चात विनिश्चय किया जा सकेगा। वर्तमान परिवेश में ~~चूंकि~~ ख.न. 256 गै.मु. रास्ता है जिसे रोका जाना न्यायोचित नहीं है। लिहाजा उभय पक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि उभय पक्ष ख.न. 256 ~~किस्म~~ गै.मु. रास्ते की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तथा रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेंगे। पत्रावली कौशल कुमार रीडर नम्बर से क्रम हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी हो AC Sojat

सेवामें,